

आदेश पत्रक

(देखे अभिलेख हस्ताक 1941 का नियम 129)

पुस्तक सहित

बनाम

अंकित अधिकारी, सोनाहातु

आदेश पत्रक ता0..... से तक

जिला-राँची नामान्तरण अपील सं0-13/2017-सन् 18

केस का प्रकार.....

पृष्ठ संख्या-.....

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
23-03-2021	<p>अभिलेख उपस्थापित। अपीलार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा हाजरी दी गयी। पुकार पर अनुपस्थित।</p> <p>अभिलेखबद्ध निम्न न्यायालय के नामान्तरण मुकदमा संख्या-158 R27/2016-2017/ सोनाहातु का ऑनलाईन जनित Mutation Details की प्रमाणित प्रतिलिपि का अवलोकन किया गया। जिसमें अंकित अस्वीकृति का कारण- विक्रेता कुरमी जाति के सदस्य हैं वे बिक्री अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवेदक को भूमि बिक्री किए हैं। अतः इसी आधार पर नामान्तरण अस्वीकृत की गयी है।</p> <p>उपसमाहर्ता, विधि शाखा, राँची के पत्रांक-217(ii) दिनांक-31/01/2012 के द्वारा प्राप्त माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के W.P.(PIL) No.-758/2011 सालखन मुर्मू बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक-25/01/2012 को पारित आदेश की प्रति जिसमें मुख्य न्यायाधीश प्रकाश टाटिया एवं न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह के द्वारा C.N.T. Act का सख्ती से अनुपालन करने का निदेश दिया गया है।</p> <p>अतः उपरोक्त तथ्यों एवं निदेशों तथा अभिलेखबद्ध दस्तावेजों के अवलोकनोपरांत मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि कथित भूमि का विक्रेता कुर्मी जाति है जो से C.N.T. Act अच्छादित है। उपरोक्त भूमि के हस्तांतरण में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 46 1 (b) का उल्लंघन हुआ है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।</p>	

23/03/18
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,
बुण्डू(राँची)।